संख्या- 10/2017/एस-3-231(1)/दस-2017-ब(2)/2017

प्रेषक,

राज रतन,

उपसचिव,

उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

कोषागार,उ0प्र0,

जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय:-राज भवन कोषागार, लखनऊ को कोषागार के सेन्ट्रल सर्वर से जोडे जाने हेतु बी0एस0एन0एल0 के माध्यम से 02 एम0बी0पी0एस0 की कनेक्टिविटी कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या-3466/कम्प्यू0/150/को0नि0/2016, दिनांक 10 फरवरी, 2017, के संदर्भ में शासनादेश संख्या 7/2017/एस-3-231/दस-2017 ब(2)/2017 दिनांक 28-03-2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 28-03-2017 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृति धनराशि रूपये 4,18,140/- (रूपये चार लाख अटठारह हजार एक सौ चालीस मात्र) को कोषागार से आहरित कर बी0एस0एन0एल0 को अग्रिम के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

I- विभाग द्वारा अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

II- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, कोषागार विभाग का होगा।

III- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

IV- वित्त लेखा (अनुभाग)-1 के शासनादेश दिनांक 25-10-1983 एवं 10-06-2011 में निर्देशानुसार एवं लघु उद्योग विभाग द्वारा प्रख्यापित प्रक्योरमेंट मैनुअल-2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर 11.17 व11.18 में उल्लिखित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-   शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

3-   उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

संख्या- 10/2017 /एस-3-231(2)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद, महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।